13

आर्थिक उत्प्रवास

13.1 आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रवास की । प्रवास का अर्थ है कौशल, संस्कृतियों, परम्पराओं, परिवारों और आशाओं का संचालन - संक्षेप में यदि कहें तो मानव जीवन की जटिलताओं का संचालन। राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जैसे अनेक घटक हैं जो लोगों के संचालन और उनके गंतव्य स्थान के चयन क्षेत्र की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं । इन सबके बावजूद, रोजगार के लिए प्रवास की प्राथमिक प्रेरणा आर्थिक ही है । भारत के पास इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कम्प्यूटर अथवा विज्ञान आदि जैसी सभी विधाओं में सुशिक्षित तकनीकी श्रम बल है । हाल के वर्षों में, बड़ी संख्या में भारतीय लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सफल रहे हैं ।

उत्प्रवास का रुख

13.2 पहले भारतीय कामगारों का गंतव्यस्थल मुख्यत : संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., कनाडा और अन्य विकसित देश थे । 7वें दशक के मध्य में पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में तेल की गर्मबाजारी ने उत्प्रवास का रंग ही बदल दिया । 1973-74 के दौरान और उसके पश्चात तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप विकास कार्यक्रम जिनमें स्कूलों, अस्पतालों, आवासों आदि जैसी सुविधाओं का सृजन शामिल हैं, शुरू किए गए । इसके परिणामस्वरूप न केवल अत्यधिक कुशल तकनीकी विशेषज्ञों की ही मांग बढ़ी, बल्कि अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की मांग भी बढ़ी । भारत इन मांगों को पूरा करने हेतु अच्छी स्थिति में था । अतः पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्प्रवासी कामगारों का मुख्य बहिर्गमन स्थान खाड़ी के देश रहे हैं जहां अनुमानतः लाखों कामगार नियोजित किए गए हैं । पिछले पांच वर्षों में ऐसे कामगारों की संख्या जिन्हें विदेशों में ठेकागत नियोजन के लिए उत्प्रवास की अनुमति दी गई है तथा श्रम बहिर्गमन के वितरण संबंधी आंकड़े सारणी **13.1, 13.2** और **13.3** में प्रस्तुत किए गए हैं ।

13.3 मध्य पूर्व के तेल निर्यात करने वाले देशों में अधिकांश प्रवासी अर्धकुशल और अकुशल कामगार हैं तथा उनमें से अधिकांश अस्थायी प्रवासी होते हैं जो ठेकागत नियोजन की अवधि के पश्चात भारत लौट जाते हैं । वर्ष 1999 के दौरान यह देखा गया है कि अन्य देशों में रोजगार के लिए प्रवास करने के लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में विभिन्न कारकों के कारण गिरावट आई है । इस गिरावट का प्राथमिक तौर पर कारण खाड़ी देशों की सरकारों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जाना, सजातीय संतुलन बनाये रखना, विभिन्न परियोजनाओं का पूरा होना तथा बीजा जारी करने से पूर्व अधिक सख्ती से संवीक्षा किया जाना है। हाल ही में खाड़ी के कुछ देशों ने अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए वीजा जारी करने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं । तथापि, वर्ष 2000 की बाद की छमाही में स्थिति में सुधार हुआ है । प्रदान की गई उत्प्रवास अनुमति की संख्या में वर्ष 2000 (3.68 लाख) की तुलना में 2003 के दौरान (4.66 लाख) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

प्रेषण

13.4 भारतीय कामगारों के विदेशी रोजगार से विदेशी मुद्रा अर्जित करने और उससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सहायता मिलती है । वर्ष 1990-91 से विदेशी मुद्रा का निजी हस्तान्तरण **सारणी 13.4** में दिया गया है । जैसा कि सारणी से देखा जा सकता है कि मुद्रा प्रेषण में 1998-99 में 43,494 करोड़ से लेकर 2002-03 में 69,924 करोड़ रु. तक निरन्तर वृद्धि हुई है । यह अनुमान है कि खाड़ी देशों, मलेसिया और सिंगापुर में कार्य करने वाले अकुशल और अर्द्ध-कुशल कामगारों की बढ़ती हुई संख्या का इसमें प्रमुख योगदान है ।

वैधानिक संरचना

13.5 30 दिसम्बर, 1983 से प्रभावी उत्प्रवास अधिनियम, 1983 भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और दिनांक 20.3.1979 के आदेश (कंगा बनाम भारतीय संघ व अन्य) द्वारा निरूपित दिशानिर्देशों को अपनाते हुए संविदात्मक आधार पर विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भारतीय श्रमिकों का उत्प्रवास और उनके हितों की सुरक्षा तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक संरचना का प्रावधान करता है । अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी भर्ती एजेन्ट श्रम मंत्रालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही विदेशों में रोजगार के लिए भर्ती संबंधी व्यवसाय कर सकते हैं । भर्ती एजेन्ट की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, विश्वसनीयता, परिसरों की पर्याप्तता, श्रम बल निर्यात के क्षेत्र में उनके अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए और बैंक गारंटी के रूप में 3 लाख रुपये से

10 लाख रुपये तक की प्रतिभूति प्राप्त करने के बाद उत्प्रवास महासंरक्षी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है । प्रतिभूति की दरें नीचे लिखे अनुसार हैं :-

(i) 300 कर्मकारों तक-3 लाख रुपए।
(ii) 301 से 1000 कर्मकार तक-5 लाख रुपए।
(iii) 100 कर्मकार और अधिक- 10 लाख रुपए।

13.6 प्रतिभूति प्राप्त करने का प्रावधान, पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का समुचित निष्पादन किए जाने को सुनिश्चित करने और किसी कामगार के विदेश में संकटग्रस्त होने की दशा में किया आकस्मिकताओं से निपटने के लिए किया गया है । उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 16 के अधीन कोई नियोजक भारत के किसी नागरिक को, विदेशी रोजगार के लिए, पंजीकृत भर्ती एजेन्ट के माध्यम से अथवा उत्प्रवास अधिनियम की धारा 15 के अधीन संबंधित भारतीय दूतावास या श्रम मंत्रालय द्वारा जारी वैध परमिट प्राप्त करके सीधे भर्ती कर सकता है । भारतीय श्रमिकों का नियोजन भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा विदेशों में चलाई जा रही परियोजनाओं में भी किया जाता है । भर्ती एजेन्टों को प्रत्येक कामगार से सेवा प्रभारों के रूप में निम्नलिखित दरों पर वसूली करने के लिए प्राधिकृत किया गया है :-

श्रेणी	**अधिकतम सेवा प्रभार**
(i) अकुशल कर्मकार	2,000/- रुपये
(ii) अर्द्धकुशल कर्मकार	3,000/- रुपये
(iii) कुशल कर्मकार	5,000/- रुपये
(iv) उपर्युक्त के अलावा	10,000/- रुपये

13.7 श्रम मंत्रालय ने उत्प्रवास अनुमति की प्रक्रिया को धीरे-धीरे विकेन्द्रित किया है । इस समय यह कार्य उत्प्रवास अधिनियम का संचालन श्रम मंत्रालय द्वारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चण्डीगढ़, कोचीन, हैदराबाद और तिरूवनंतपुरम स्थित उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । जनसम्पर्क को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उत्प्रवास संरक्षी के सभी आठों कार्यालय सप्ताह में छः दिन कार्य कर रहे हैं ।

उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित (ई.सी.आर.) वर्ग

13.8 यदि उन वर्गों के व्यक्ति, जिनके पासपोर्ट पर उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित (ई.सी.आर.) पृष्ठांकित किया है, गैर-रोजगार उद्देश्यों से विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा 'निलंबन' प्राप्त करना आवश्यक है । 'निलंबन' प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र, वापसी टिकट और गैर-रोजगार वीजा सहित पासपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है । आठ उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय तथा कुछ अन्य प्राधिकृत पासपोर्ट कार्यालय उक्त 'निलंबन' प्रदान करते हैं । भारतीय मिशनों को भी निलम्बन की अवधि के विस्तार की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । प्रमुख रूप से पर्यटक के रूप में विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति तथा ई.सी.आर. पृष्ठांकन वाले पासपोर्टधारी व्यक्ति ऐसे निलंबन प्राप्त करते हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा प्रदान किए गए कुल 'निलंबनों' की संख्या **सारणी 13.5** में नीचे दर्शायी गयी है :-

उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं वर्ग (ई.सी.एन.आर.)

13.9 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 22 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक तब तक देशांतर नहीं करेगा जब तक वह उत्प्रवास संरक्षी से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। तथापि, आवधिक समीक्षाअें के माध्यम से विनियामक तंत्र को धीरे धीरे उदार बनाया गया है । इस समय 17 श्रेणी के व्यक्तियों को इस अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है और इन्हें 'उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित नहीं' (ई.सी.एन.आर.) वर्ग के अधीन रखा गया है **(सारणी संख्या 13.6)** । इन श्रेणियों में किसी से भी संबंधित व्यक्ति अपनी पात्रता के प्रमाण को दर्शाकर पासपोर्ट कार्यालयों से अपने पासपोर्टों पर ई.सी.एन.आर. के स्टाम्प को लगवाने के लिए पात्र हैं । अपने पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. पृष्ठांकन वाले लोगों को उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय से कोई अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है ।

13.10 उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित 6 श्रेणियों में से किसी एक से संबंध रखने और अपने पासपोर्ट पर वैध रोजगार वीजा पृष्ठांकित वाले कामगार अपने पासपोर्ट पर ई.सी.एन.आर. पृष्ठांकन के लिए पंजीकृत भर्ती एजेन्ट के माध्यम से संबंधित उत्प्रवास संरक्षी के पास जा सकते हैं:-

(1) पर्यवेक्षक (सभी व्यवसाय के);
(2) कुशल कामगार (सभी व्यवसाय के);
(3) अर्द्ध-कुशल कामगार (सभी व्यवसाय के);

(4) हल्के/मध्यम/भारी वाहन चालक;

(5) स्टेनोग्राफर, स्टोरकीपर, टाइमकीपर, टाइपिस्ट आदि सहित सभी श्रेणियों के लिपिकीय कामगार आदि; तथा

(6) घरेलू कार्यों में (रसोइए के रूप में) रोजगार की तलाश करने वालों को छोड़कर रसोइए ।

13.11 बांग्लादेश, पाकिस्तान और उत्तरी अमरीका और यूरोप (कुछ सी.आई.एस. देशों को छोड़कर) सहित 54 देशों को जाने वाले व्यक्तियों को उत्प्रवास अनुमति संबंधी औपचारिकताओं से छूट दी गई है । सऊदी अरब में हज और उमराह के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों और सऊदी अरब, सीरिया, ईरान, ईराक, जोर्डन, मिस्र और साना (यमन) में जियारत करने के घोषित उद्देश्य से जाने वाले तीर्थयात्रियों को उत्प्रवास संरक्षी/पासपोर्ट कार्यालयों से 'उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित' से "निलंबन" प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है । 2003-04 के दौरान एक व्यापक समीक्षा के बाद-चार और देशों अर्थात द. अफ्रिका, द. कोरिया, सिंगापुर और थाइलैण्ड को भी हाल ही में "उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं" श्रेणी में डाला गया है । जिन देशों के संबंध में उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं है उनकी पूर्ण सूची **सारणी 13.7** में दी गयी है ।

भर्ती एजेंट

13.12 उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन भर्ती एजेंटों का पंजीकरण जनवरी, 1984 से शुरू किया गया और तब से 31 दिसम्बर, 2003 तक उत्प्रवासी महासंरक्षी के कार्यालय द्वारा 3942 भर्ती एजेंटों को पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी किए गए थे । इस संख्या में उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में स्थापित नौ राज्य जनशक्ति निर्यात निगम शामिल हैं । तथापि, फिलहाल वैध प्रमाण पत्रों के साथ केवल 1377 भर्ती एजेंट इस व्यवसाय में लगे हुए हैं । अधिकांश भर्ती एजेंट मुंबई, दिल्ली, चैन्नई और तिरुवनन्तपुरम में है।

परियोजनाओं के लिए जनशक्ति निर्यात

13.13 विदेशों में परियोजनाएं चलाने वाली कंपनियों को विदेश में कामगार ले जाने के लिए उत्प्रवास अनुमति से पहले भारतीय रिजर्व बैंक/वाणिज्य मंत्रालय से समुचित अनुमति प्राप्त करनी होती है । जब परियोजना निर्यातक, कामगारों को एक समूह में भेजते हैं तब नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर 20,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक की बैंक गारंटी देनी होती है । यह प्रावधान विदेश में कार्य करते समय कामगारों को पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं ।

13.14 25.12.2003 से प्रवासी भारतीय बीमा योजना आरंभ होने के बाद सीधे अथवा विदेशी नियोजक के माध्यम से भर्ती किए गए व्यक्तिगत आधार पर विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए कोई प्रतिभूति राशि जमा करना अपेक्षित नहीं है ।

शिकायतों का निपटान

13.15 नीति के उदारीकरण के परिणामस्वरूप विदेश जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कई उत्प्रवासी कामगारों को कठिनाइयां होती हैं । मजदूरी का भुगतान न करने/विलम्ब से भुगतान करने, कामगारों के ठेके में एकतरफा परिवर्तन करने, अपनी मर्जी से भिन्न कार्य पर लगाने और कई मामलों में कभी कोई रोजगार ही न देने और विदेश में भटकने के लिए छोड़ देने के संबंध में विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त होती हैं । ऐसे कामगार कठिनाइयों का सामना करने के साथ साथ हमारे मिशनों पर भार भी बन जाते हैं । ऐसे मामलों में उत्प्रवास महासंरक्षी कार्रवाई करता है और संबंधित भर्ती एजेंट से उसके खर्चे पर उन कामगारों को वापस भिजवाता है । यदि भर्ती एजेंट ऐसा नहीं करता तो उसकी बैंक गारंटी

जब्त कर ली जाती है और उस राशि से कामगारों को वापस भेजने के व्यय की पूर्ति की जाती है ।

13.16 भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच पुलिस और संबंधित भारतीय मिशन की सहायता से की जाती है तथा उत्प्रवास अधिनियम,1983 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई की जाती है । गैर-पंजीकृत एजेन्टों के विरुद्ध शिकायत जांच के लिए और स्थानीय कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दी जाती हैं। सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अनैतिक एजेन्टों की गतिविधियों पर सख्त नज़र रखने के लिए पुलिस स्टेशन तक के स्तर पर अनुदेश जारी करें । विदेशी नियोजकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को भारतीय मिशनों के साथ उठाया जाता है तथा आवश्यक होने पर नियोजक का नाम काली सूची में डाल दिया जाता है । गलती करने वाले एजेन्ट का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित और रद्द करके तथा बैंक गारन्टी को जब्त करके उनके विरुद्ध विभागीय कर्रवाई भी की जाती है । वर्ष 2003 के दौरान 31 दिसम्बर, 2003 तक पांच एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित किए गए हैं । विदेश में भारतीय कामगारों के शोषण को रोकने के लिए विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप मलेशिया और कतर और कुवैत इत्यादि में इक्कीस नियोजकों के नाम काली सूची में डाले गए हैं ।

13.17 उत्प्रवास महासंरक्षी और श्रम मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को 11.30 पूर्वाहन से 12.30 अपराहन तक श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आम सुनवाई करते हैं। प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतों के निवारण के लिए नियत दिनों पर अधिकारियों से मिल सकते हैं । वर्ष 2003 के दौरान इन आम सुनवाइयों के दौरान लगभग 1445 याचिकाओं / प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की गई तथा उन सबका निपटान किया गया । उत्प्रवास संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों द्वारा उचित ढंग से व्यवहार किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी सतर्कता बरती जाती है ।

वापस आने वाले प्रवासियों का पुनर्वास

13.18 वापस आने वाले प्रवासियों में स्व-रोजगार, कौशल बढ़ाने अथवा मजदूरी प्रदत्त रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए राज्य सरकारों से समितियाँ गठित करने का अनुरोध किया गया था । आंध्र प्रदेश, दिल्ली और केरल स्थित वित्तीय और औद्योगिक

विकास निगम और अन्य समितियाँ भी वापस आने वाले प्रवासियों को उनके द्वारा प्रायोजित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देती हैं ।

केन्द्रीय श्रम बल निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय प्रवासी कामगार कल्याण निधि

13.19 व्यवसाय और रोजगार के सार्वभौमिकरण से विश्व आर्थिक परिदृश्य में गुणात्मक बदलाव आया है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सीमाओं के पार जनसमूह के आवागमन में वृद्धि हुई है । श्रम बल विदेशी मुद्रा अर्जन और आर्थिक संवृद्धि के पुनरूज्जीवन के एक अच्छे स्रोत के रूप में एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है । कार्य चाहने वालों की सूची में नए गन्तव्य स्थान जोड़े गए हैं । श्रम बल के संघटन में यहाँ तक बदलाव आया कि बेहतर रोजगार और बेहतर आर्थिक लाभों की तलाश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यवसायी, प्रबंधक, तकनीशियन प्रवास कर रहे हैं । अपने कौशल के उन्नयन की दृष्टि से भी लोग प्रवास कर रहे हैं ।

13.20 भारत में कुशल, अर्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमबल की विपुलता है जिसे अन्य देशों में कार्य हेतु भेजने के योग्य बनाया जा सकता है, यदि उन्हें श्रम बाजार की जरूरतों को देखते हुए उचित परामर्श दिया जाए एवं उनके अनुकुल बनाया जाए तथा उनकी कार्यात्मक योग्यता को अन्य श्रम निर्यातक देशों के कामगारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाया जाए । यह तभी संभव है जब ऐसी कोई एजेन्सी हो जो ऐसी संवर्धनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके । वर्तमान में, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, सरकार की न तो विदेशी श्रम बाजार की आवश्यकताओं एवं मांगों का अध्ययन करने में ही कोई भूमिका है, न यह विदेश जाने वाले कामगारों को कोई प्रशिक्षण अथवा कैरियर परामर्श ही प्रदान करती है । अतः इस अधिनियम में संशोधन करते हुए केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद गठित किये जाने का प्रस्ताव है।

13.21 ऐसे अनेक मामले आए हैं जब उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त कर्मकारों को विदेश पहुंचने पर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा । इनमें कुछ समस्याएं विदेशी नियोक्ता द्वारा उनका नुकसान करके रोजगार ठेका को बदला जाना, वेतन का भुगतान न किया जाना या देर से किया जाना, खराब कामकाजी और रहन-सहन की दशाएं, विदेशी नियोक्ता द्वारा उक्त कर्मकारों को प्राप्त करने से अनिच्छुक होने पर उन्हें अधर में रखा जाना, विदेश में पंहुचने पर रोजगार का न मिल पाना, रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न दुर्घटना से लगी चोट जिससे आंशिक या पूर्ण विकलांगता हुई हो, की दशा में मुआवजे का भुगतान न किया जाना, विदेशी नियोक्ताओं द्वारा कर्मकारों के शव को भारत भेजने में विलम्ब किया जाना आदि हैं ।

13.22 दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में श्रम निर्यातक देशों ने विदेशी राष्ट्रों में विपद ग्रस्त उत्प्रवासी कामगारों को कुछ वित्तीय सहायता अथवा राहत प्रदान करने के लिए कल्याण निधियों अथवा कल्याण बोर्डों का गठन किया है । अतः ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय विदेशी कर्मकार कल्याण निधि गठित किए जाने का प्रस्ताव है । इस निधि को केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संचालित करने का प्रस्ताव है । परिषद इस निधि का उन कामगारों के लिए वापसी टिकट की व्यवस्था करने, जिन्हें विदेशी राष्ट्रों में बेसहारा छोड़ दिया जाता है,अथवा कामगारों के शवों को स्वदेश लाने तथा आंशिक रूप से अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गए कामगारों को सहायता प्रदान करने अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों हेतु भुगतान के लिए उपयोग कर सकती है ।

13.23 उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए, उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2002 लोक सभा में 21.11.2002 को पेश किया गया और लोकसभा ने इसे जांच और रिपोर्ट हेतु श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेजा था । स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 15.12.2003 को लोक सभा को प्रस्तुत की । समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं । यह उम्मीद की जाती है प्रस्तावित संशोधनों के परिणामस्वरूप और अधिक कामगार ठेकागत आधार पर नियोजन हेतु विदेश जाएंगे जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में सीधी वृद्धि होगी । परिषद और कल्याण निधि के माध्यम से उत्प्रवासियों के कल्याण पर अधिक ध्यान दिए जाने की उम्मीद है ।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

13.24 दिनांक 9.1.2003 को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के लिए विदेश जाने वाले प्रवासियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना आरंभ करने की घोषणा की थी । इस घोषणा के अनुसरण में दिनांक 13.11.2003 को प्रवासी भारतीय बीमा योजना, 2003 नामक अनिवार्य बीमा योजना अधिसूचित की गयी है। यह योजना 25 दिसम्बर, 2003 को प्रभावी होगी तथा भारत के केवल उन नागरिकों पर लागू होगी जिनके लिए उत्प्रवास अनुमति लेना अपेक्षित है । इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

मुख्य विशेषताएं

- प्रवासी भारतीय बीमा योजना का उद्देश्य कम से कम 2.00 लाख रुपए की धनराशि का बीमा संरक्षण प्रदान करना है जिसकी अदायगी किसी ऐसे भारतीय की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने पर उसके नामिती कानूनन उत्तराधिकारी को की जाएगी जो संबंधित उत्प्रवास संरक्षी से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार के प्रयोजन से विदेश जाते हैं ।
- मृत्यु के मामले में बीमा कंपनी द्वारा शव को लाने संबंधी व्यय के अतिरिक्त, एक परिचर का एकतरफ के हवाई किराये पर किए गए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
- यदि किसी कामगार के विदेश स्थित गंतव्य पर पहुंचने पर नियोजक उसे लेने नहीं आता अथवा रोजगार संबंधी संविदा में कोई ऐसा महत्वपूर्ण हेर-फेर किया गया हो जो उसके लिए नुकसानदेह हो अथवा यदि प्रवासी की कोई गलती न होने पर तीन माह के भीतर रोजगार को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाए तो बीमा कंपनी रियायती श्रेणी के हवाई किराये की प्रतिपूर्ति करेगी बशर्ते कि स्वदेश वापसी के आधार को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
- बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति को एक तरफ के रियायती श्रेणी के वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी यदि वह बीमार पड़ जाए अथवा उसे कार्य को प्रारम्भ करने अथवा उसे जारी रखने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया जाए तथा विदेशी नियोजक द्वारा उसकी सेवा संबंधी संविदा को बीमा कराने के तीन माह की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाए।
- बीमा पॉलिसी दो वर्षों तक की अवधि अथवा संविदा की वास्तविक अवधि जो भी कम हो तक के लिए वैध होगी ।
- बीमा पॉलिसी में बीमा की अवधि के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से लगी चोटों तथा/अथवा रुग्णता/रोगों/बीमारियों के कारण बीमित प्रवासी कामकारों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए क्षति के रूप में कम से कम 50,000/-रुपए नकद अथवा वास्तविक चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के चिकित्सा कवर की भी व्यवस्था होगी बशर्ते कि चिकित्सा उपचार भारत में कराया गया हो ।
- बीमा पॉलिसी में प्रवासी महिलाओं के मामले में न्यूनतम 20,000/-रु. के अधीन प्रसूति लाभों की भी व्यवस्था होगी किन्तु प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय तक ही सीमित रहेगी ।
- भारतीय प्रवासी कामगार का परिवार, जिसमें पत्नी/पति तथ् इक्कीस वर्ष तक की आयु वाले दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा उसके

स्थायी रूप से विकलांग होने की दशा में अस्पताल में भर्ती होने के लिए अधिकतम धनराशि अथवा 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष के लिए भी पात्र होगा ।

- बीमा कंपनियाँ पालिसी अवधि अर्थात् छःमाही, एक वर्ष अथवा दो वर्षों के लिए उचित एवं सही प्रीमियम वसूल करेंगी ।

अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय

13.25 यह समझा गया है कि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों और साथ ही राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है । अतः अपर सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है । समिति की पहली बैठक 20.11.2003 को हुयी थी । यह प्रस्ताव है कि इस समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जाएं जिससे समस्या वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जा सके और सरकार तथा जनता के बीच बेहतर सम्पर्क हो सके । श्रम, विदेश और गृह जैसे प्रमुख मंत्रालय समिति में शामिल हैं । समिति को आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों और अन्य संबंधित मंत्रालयों को भी बैठक में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है ।

*****

सारणी 13.1

पिछले पांच वर्षों के दौरान नियोजन के लिए उत्प्रवास	
वर्ष	**कामगारों की संख्या (लाखों में)**
1999	1.99
2000	2.43
2001	2.79
2002	3.68
2003	4.66

सारणी 13.2

भारत से 1999-2003 के दौरान विभिन्न देशों को गए श्रमिकों का वार्षिक विवरण						
क्रम संख्या	**देश**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003 (30.09.2003 तक)**
1.	संयुक्त अरब अमीरात	79269	55099	53673	95034	143804
2.	सऊदी अरब	27160	58722	78048	99453	121431
3.	कुवैत	19149	31082	39751	4859	54434
4.	ओमान	16101	15155	30985	41209	36816
5.	मलेशिया	62	4615	6131	10512	26898
6.	बहरीन	14905	15909	16382	20807	24778
7.	सिंगापुर	19468	18399	27886	34399	23438
8.	कतर	--	--	13829	12596	14251
9.	लीबिया	1129	1198	334	1339	2796
	अन्य	22309	32003	11645	13765	17810
कुल		**199552**	**243182**	**278664**	**367663**	**466456**

सारणी 13.3

1999-2003 वर्षों के दौरान कामगारों को प्रदान किए गए उत्प्रवास/उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं पृष्ठांकन के राज्यवार आंकड़े					
राज्य	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
आन्ध्र प्रदेश	18,983	29,999	37,331	38,417	65,971
अंडमान और निकोबार	0	0	0	2	9
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	61
असम	24	-	1,575	2,666	2298
बिहार	5,866	6,726	9,711	19,222	17,104
चंडीगढ़	872	2045	2435	2,813	2,374
छत्तीसगढ़	-	-	-	0	588
दिल्ली	3569	3165	3183	4,018	6,513
गुजरात	3,956	5,722	10,294	11,925	17,012
गोवा	543	1,331	2255	3,545	3,494
हरियाणा	288	52	154	424	1,246
हिमाचल प्रदेश	130	214	116	1,724	1,690
जम्मू एवं कश्मीर	262	35	1366	1,323	42
झारखंड	-	-	-	0	1,779
कर्नाटक	5,287	10,927	10,095	14,061	22,641
केरल	60,445	69,630	61,548	81,950	92,044
मध्य प्रदेश	904	1,706	5,935	7,411	10,651
महाराष्ट्र	9,871	13,346	22,713	25,477	29,350
मणिपुर	0	0	0	2	50
मेघालय	0	0	0	0	1
मिजोरम	0	0	0	0	81
नागालैण्ड	0	0	0	1	54
उड़ीसा	549	576	3,014	1742	5,370
पांडिचेरी	180	35	21	21	24
पंजाब	15,167	10,025	12,422	19,638	24,963
राजस्थान	9,809	10,170	14,993	23,354	28,718
सिक्किम	12	2	3	16	3
तमिलनाडु	47,402	63,878	61,649	79,165	89,464

त्रिपुरा	14	0	2	1,114	4
उत्तर प्रदेश	11,789	9,157	13,912	19,288	24,854
उत्तरांचल	-	-	-	106	122
पश्चिम बंगाल	1,559	1,940	4,830	8,338	8,906
अन्य	2,071	2,164	7	0	4,66,456
कुल	**1,99,552**	**2,12,846**	**278,664**	**3,67,663**	**4,66,456**

स्रोत : उत्प्रवास संरक्षी का कार्यालय

सारणी 13.4

	निजी संप्रेषण	
वर्ष	मिलियन अमेरिकी डालर में	करोड़ रुपये में
1998-99	10341	43494
1999-2000	12290	53280
2000-2001	12873	58756
2001-2002	12125	57821
2002-2003	14807	71642
2003-2004*	14494	66861

*दिसंबर, 2003 तक

सारणी 13.5

उत्प्रवास अनुमति का निलंबन	
वर्ष	प्रदान किए गए निलंबनों की संख्या (लाखों में)
1999	2.87
2000	3.63
2001	3.98
2002	4.37
2003	4.96

	सारणी 13.6
	उन व्यक्तियों/ कर्मकारों के वर्गों की सूची जिनके मामले में उत्प्रवास अनुमति अपेक्षित नहीं है
1.	होटलों, रेस्तरां, चाय की दूकानों या सार्वजनिक सैरगाहों आदि में प्रबन्धकीय हैसियत में विदेश जाने वाले वे व्यक्ति जिनके पास इन क्षेत्रों में विशिष्ट डिग्री हो ।
2.	सभी सरकारी राजपत्रित अधिकारी ।
3.	सभी आयकर दाता (कृषि आयकर दाता सहित) अपनी व्यक्तिगत हैसियत में आयकर निर्धारण का प्रमाण तथा पिछले तीन साल के लिए आयकर की वास्तविक अदायगी के प्रमाण पर जोर दिया जाए न कि केवल अग्रिम कर की अदायगी के प्रमाण पर ।
4.	सभी व्यवसायिक डिग्री प्राप्त व्यक्ति जैसे एम.बी.बी.एस. अथवा आयुर्वेद या होम्योपैथी में डिग्रीधारी डॉक्टर, प्रत्यायित पत्रकार, इंजीनियर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, लैक्चरर्स, अध्यापक, वैज्ञानिक, अधिवक्ता आदि ।
5.	(2) से (4) में वर्गीकृत व्यक्तियों के पति/पत्नी और आश्रित बच्चे ।
6.	वे सभी व्यक्ति जो तीन वर्ष से ज्यादा से विदेश में रह रहे हैं (तीन वर्ष की अवधि चाहे वह लगातार हो या विच्छिन्न हो) तथा पति/पत्नी और ऐसे व्यक्तियों के बच्चे ।
7.	वे सभी भारतीय नाविक जिनके पास भारतीय अथवा विदेशी निरन्तर सेवा प्रमाण पत्र (सी.डी.एस.) है और भारतीय अथवा विदेशी शिपिंग कम्पनी से रोजगार का प्रस्ताव उनके पास है और समुद्री कैडेट ।
8.	सभी राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारक ।
9.	ऐसे माता-पिता के आश्रित बच्चे, जिनके पासपोर्ट ई.सी.एन.आर. के रूप में वर्गीकृत हैं । ऐसे बच्चों के मामलों में उनके द्वारा 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ई.सी.एन.आर. वर्गीकरण सीमित किया जाए ।
10.	ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्थायी अप्रवासी वीजा हो जैसे यू.के., अमरीका और आस्ट्रेलिया में ।
11.	ऐसे व्यक्ति जिनके पास डिप्लोमा या उच्चतर डिग्री हो ।
12.	पोलीटेक्निक जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा धारक व्यक्ति ।
13.	ऐसी नर्सें जिनके पास भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हता हो।
14.	60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति ।
15.	पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले सभी यात्री ।
16.	यूरोप अथवा उत्तरी अमरीका के किसी देश में जाने वाले सभी व्यक्ति।
17.	सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति ।

सारणी 13.7

उन देशों की सूची जिनके लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं है :

1. अल्बानिया
2. आस्ट्रेलिया
3. आस्ट्रिया
4. बाहमास
5. बांग्लादेश
6. भूटान
7. बुल्गारिया
8. कनाडा
9. साइप्रस
10. चैक गणराज्य
11. डेनमार्क
12. ऐस्टोनिया
13. फिनलैंड
14. फ्रांस
15. जर्मनी
16. जिब्राल्टर
17. ग्रीस
18. ग्रीनलैंड
19. हंगरी
20. आयरलैंड
21. आइसलैंड
22. इटली
23. जापान
24. लातविया
25. लाइचटैंसटेन
26. लिथुआनिया
27. लक्समबर्ग
28. माल्टा
29. मैक्सिको
30. मोनाको
31. नेपाल

32. नीदरलैंड
33. न्यूजीलैंड
34. नार्वे
35. पाकिस्तान
36. पोलैंड
37. पुर्तगाल
38. रोमानिया
39. सैन मारिनो
40. स्लोवाक गणराज्य
41. स्पेन
42. स्वीडन
43. स्विटरजरलैंड
44. दी होलीसी
45. टर्की
46. संयुक्त राज्य अमरीका
47. इंग्लैंड
48. वेटिकन सिटी
49. यूगोस्लाविया
50. बेल्जियम
51. दक्षिण कोरिया
52. दक्षिण अफ्रीका
53. सिंगापुर
54. थाईलैंड